भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3397

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में यूजीसी दिशानिर्देश

3397. **श्रीमती मंजू शर्मा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सातवें वेतन आयोग में की गई सिफारिशों के क्रम में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों (रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक आदि के वेतन निर्धारण के संबंध में सभी राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा शिक्षकों एवं उक्त प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में अध्यादेश जारी करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि यूजीसी द्वारा अनुशंसित वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ राजस्थान राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पहले ही प्रदान किया जा चुका है:

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में इसे लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विश्वविद्यालयों में कार्यरत उक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन एवं पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के संबंध में अध्यादेश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इसकी गुणवत्ता बढ़ाना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों तथा उन समविश्वविद्यालय संस्थानों जिनके रखरखाव का व्यय

यूजीसी द्वारा वहन किया जाता है जैसा कि यूजीसी को मंत्रालय में दिनांक 02.11.17 और 08.11.2017 के पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था, में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है। यूजीसी ने आगे दिनांक 31.01.2018 को सभी राज्य सरकारों को सूचित किया कि राज्य सरकारें राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए भारत सरकार की उपर्युक्त योजना को अंगीकृत करने के लिए कार्रवाई कर सकती हैं। उक्त पत्र https://www.ugc.gov.in/pdfnews/8887925_UGC-letter-to-State-Govt-reg-pay-revision-7CPC.pdf पर उपलब्ध हैं।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि संबंधित विश्वविद्यालयों ने यूजीसी द्वारा अनुशंसित वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान कर दिया है।

*****